2

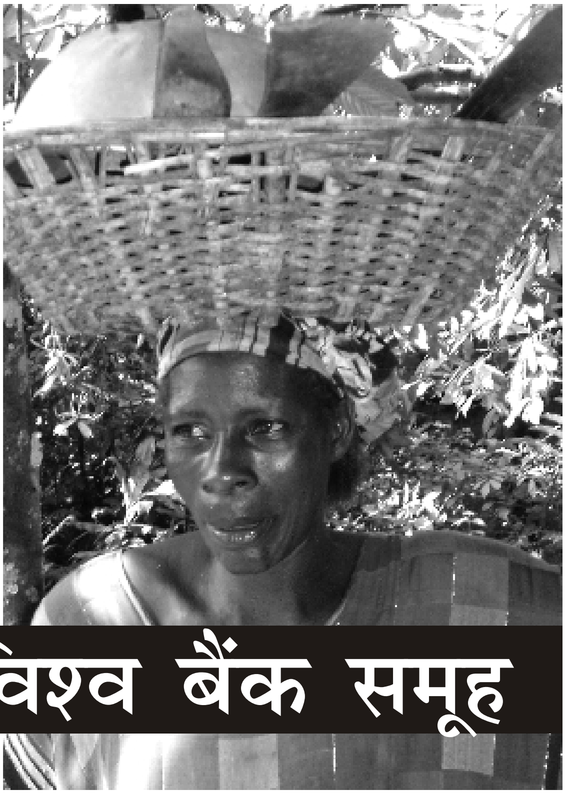

आपके देश में विश्व बैंक समूह

इस भाग में

- वृहद परिदृश्य : विश्व बैंक समूह की आपके देश के लिए क्या योजनाएं हैं?
- बैंक अपनी योजना को कैसे कार्यवाही में बदलता है?
- सड़क, खदान एवं बांध निर्माण : परियोजना के लिए ऋण
- नीति सहायता ऋणः कानून, नियम व संस्थाओं को बदलना
- निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना : आपके देश में आईएफसी एवं एमआईजीए
- विश्व बैंक समूह की परियोजनाओं के बारे में आपके देश में किससे बात कर सकते हैं?
- ज्यादा जानकारी के लिए देखे!
- एक नजर : विश्व बैंक परियोजना का ऋण चक्र
- एक नजर : परियोजना आधारित ऋण के लिए प्रमुख दस्तावेज
- एक नजर : नीति आधारित ऋण के लिए प्रमुख दस्तावेज
- एक नजर : विश्व बैंक समूह द्वारा आम तौर पर दिये जाने वाले तर्क

विश्व बैंक समूह आपके देश में प्रत्यक्ष परियोजना निवेश से लेकर परदे के पीछे के शोध तक विभिन्न किस्म की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। चाहे बांधों व सड़क आदि इंटो व सीमेंट आधारित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हो, या फिर नयी सीमा शुल्क अपनाने के लिए या राजकीय कम्पनियों के निजीकरण जैसी नीति सुधार के प्रोत्साहन के लिए हो, बैंक का असर पूरे विश्व में विकासशील एवं प्रगतिशील देशों के हरेक पहलु में रहता है।

विश्व बैंक समूह आपके देश में कैसे काम करता है यह समझना, बैंक का समाज व पर्यावरण पर होने वाले असरों पर प्रभाव डालने के लिए प्रथम कदम है।

वृहद परिदृश्य : विश्व बैंक समूह की आपके देश के लिए क्या योजनाएं हैं?

आपके देश में कई कारक विश्व बैंक समूह की गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। ऋण लेने वाले देश उस परियोजनाओं का प्रस्ताव करते हैं,

जिसके लिए वे बैंक की मदद चाहते हैं। साथ ही, बैंक की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, जो विभागों, देशों एवं क्षेत्रीय रणनीतियों में दिखती हैं। अंततः, बैंक के निदेशक मंडल में शक्तिशाली योगदानकर्ता देश यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि संस्था के क्रियाकलापों के माध्यम से उनके अपने हित पूरे हो रहे हैं। आपके देश में अंततः क्या होता है वह इसका परिणाम होता है कि ये विभिन्न कारक किस तरह सक्रिय रहते हैं।

विश्व बैंक समूह का कहना है कि किसी भी देश में जिन परियोजनाओं को वह मदद करता है वे सभी उनकी सरकारों द्वारा अनुरोध किये जाते हैं या सरकारों द्वारा विकास के निर्धारित दर्शन पर आधारित होते हैं। परन्तु वास्तव में, ऋण लेने वाली सरकारें एवं/या जनता के पास अक्सर उनके देश में बैंक की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमुख रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं।

कम आय वाले देश जो आईडीए के ऋण के योग्य होते हैं, वहां विश्व बैंक समूह की गतिविधियां व्यवहारिक तौर पर देश की अपनी **गरीबी उन्मूलन रणनीति पत्र (पीआरएसपी)** के आधार पर निर्देशित होनी होती हैं। ऋण लेने वाली सरकारें 3 से 5 साल की अवधि में देश की गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए पीआरएसपी तैयार करती हैं। कई देश 1999 से ही पीआरएसपी तैयार करती रही हैं, जबसे विश्व बैंक समूह ऋण मुक्ति की सुविधा हासिल कर पाने के लिए देशों से इसकी मांग करने लगा है। पीआरएसपी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज होते हैं।

वैसे तो जन परामर्श सरकारों की रणनीतियों को तय करने में मदद करने के लिए होते हैं, लेकिन कई देशों में नागरिक समाज संगठनों का कहना है कि परामर्श प्रक्रिया काफी दोषपूर्ण है एवं सरकारें ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की प्राथमिकताओं से प्रभावित होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीआरएसपी विश्व बैंक/आईएमएफ के सिफारिश से सम्बन्धित है एवं अक्सर व्यापार नीति व निजीकरण जैसे अति–विवादित व संवेदनशील आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने से कतराती हैं।

विश्व बैंक समूह जिन देशों में काम करता है उन हरेक देश के लिए वह **देश सहायता रणनीति (सीएएस)** तैयार करता है। सीएएस देश में तीन से पांच सालों के लिए बैंक की प्राथमिकताओं के साथ–साथ बैंक की नियोजित परियोजना व नीति सहायता, शोध व तकनीकी सहायता को रेखांकित करती है, जिसे विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दी जानी होती है। कम आय वाले देशों के लिए पीआरएसपी में वर्णित

यह सब देश के पासिंग मार्क पर आधारित होते हैं

आपका देश बैंक से कितना धन पाता है

कम आय वाले देश जिनको आईडीए की सहायता मिलती हैं, उनके लिए सीएएस के अंतर्गत चयनित सहायता की रूपरेखा मोटे तौर पर इस पर निर्भर होती है कि बैंक की देश नीति एवं संस्थागत आकलन (सीपीआईए) पर देश कितना ज्यादा अंक प्राप्त करता है। सीपीआईए प्रत्येक आईडीए देश का आर्थिक प्रबंधन, व्यवसाय नियमन, सामाजिक नीतियों एवं अभिशासन प्रदर्शन के आधार पर श्रेणी निर्धारित करता है। संकेतकों के चयन एवं उनके मूल्यांकन पर बैंक का पूरा नियंत्रण होने एवं उसके परिणामों को सार्वजनिक करने में असफलता के कारण सीपीआईए पर विवाद पैदा हो गया है।

प्राथमिकताओं के आधार पर सीएएस तैयार होता है। सीएएस विश्व बैंक समूह द्वारा आगामी सालों में बैंक की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध कुल मात्रा को भी निर्धारित करती है। इसके अलावा सीएएस विभिन्न ''सहायता की रूपरेखा'' (आधार मात्रा, ऊंची मात्रा, नीची मात्रा) देती है, जिसके आधार पर देश अपनी विशिष्ट नीति सुधार एवं अन्य कार्यवाहियों की पूर्णता (जिसे अक्सर ''ट्रिगर'' कहा जाता है) पर निर्भर होकर कम या ज्यादा बैंक निधि प्राप्त कर सकते हैं। सीएएस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज होता है, जिसे बैंक की मंजूरी के बाद एवं ऋण लेने वाले देश की सहमति पर जारी किया जाता है।

सीएएस तैयार करते समय बैंक कर्मचारियों को सरकार, नागरिक समाज एवं अन्य हित समूहों से तथ्य एकत्र करना होता है। लेकिन, पीआरएसपी की तरह यहां भी परामर्श अक्सर दोषपूर्ण होता है। इस बारे में कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है कि सीएएस तैयार करते समय जन परामर्श कराया जाय एवं उस रणनीति के मसौदे की प्रतियों को सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध कराया जाय। जबकि यह बात अब आम हो रही है कि बैंक कर्मचारी सीएएस तैयार करते समय नागरिक समाज के कुछ प्रतिनिधियों से सम्पर्क करते हैं, और कुछ देशों में सीएएस दस्तावेज के मसौदे को प्रकाशित करते हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया मिलती है उसे अक्सर अंतिम देश रणनीति में शामिल नहीं किया जाता।

सीएएस में अंतर

- देश भागीदारी रणनीति ने कुछ मध्यम आय एवं उच्च मध्यम आय वाले देशों में सीएएस का स्थान ले लिया है।
- पारिस्थितिक सहायता रणनीति युद्ध के बाद वाले देशों के लिए तैयार की जाती हैं एवं लघु अवधि की आपातकालीन सहायता से दीर्घ अवधि की विकास सहायता की ओर परिवर्तन को रेखांकित करती हैं।
- देश पुनः शामिल नोट्स उन देशों के लिए तैयार की जाती है जो पूर्व में विश्व बैंक के ऋण व अनुदान प्राप्त करने लायक नहीं होते हैं। उन देशों पर पिछला बकाया, अंतर्देशीय विवाद या बैंक के साथ विवाद के कारण बैंक का ऋण रोका गया हो सकता है।

सीएएस एवं पीआरएसपी प्रक्रिया के बारे में कुछ सुझाव एवं सावधानियां

पीआरएसपी एवं सीएएस पर जन परामर्श विकास प्राथमिकताओं की चर्चा को प्रभावित करने में या आपके देश में बैंक के हस्तक्षेप का स्वरुप तय करने में उपयोगी अवसर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि नागरिक समाज की उम्मीद व्यवहारिक होनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में कौन सी कार्यवाही से कुछ हासिल होगा एवं कितनी ऊर्जा व्यय करनी चाहिए। लोगों के विचार शामिल करने के बारे में एवं विवादास्पद आर्थिक नीतियों सहित समस्त मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला रखा जाय इनकी कोई गारण्टी नहीं है।

- **उद्देश्य** जो बैंक सीएएस के माध्यम से सम्पादित करने की कोशिश कर रहा है;
- **सहायता की रूपरेखाएं** (आधार मात्रा, ऊंची मात्रा, नीची मात्रा) यह इंगित करते हैं कि बैंक आपके देश के लिए कितना धन उपलब्ध कराएगा;
- **''ट्रिगर्स''** यह आपके सरकार को ऊंचे या कम स्तर की सहायता के लिए आवश्यक विशिष्ट नीति सुधार एवं अन्य कार्यवाहियों को इंगित करते हैं;
- **प्रस्तावित परियोजना** विशिष्ट नियोजित सहायता परियोजनाओं एवं अध्ययनों का चयन।

पता करें कि आपके देश में अगला सीएएस कब विकसित किया जा रहा है : www.worldbank.org/cas
पता करें कि आपकी सरकार ने पीआरएसपी विकसित व प्रकाशित किया है या नही : www.worldbank.org/prsp

बैंक अपनी योजना को कैसे क्रियान्वित करता है?

शोध एवं विश्लेषण : बैंक की गैर ऋण गतिविधियां

किसी देश में अपनी रणनीति के तहत, बैंक शोध एवं विश्लेषण करता है, जिसका प्रभाव उसके ऋण कार्यक्रमों पर पड़ता है। यह सरकारों की नीतियों पर असर डालते हैं एवं अन्य ऋणदाताओं द्वारा अक्सर इन्हें सन्दर्भ के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत देश के सार्वजनिक व्यय का मूल्यांकन, अभिशासन व भ्रष्ट्राचार, अनुदान व निवेश विनियम एवं क्षेत्र–आधारित नीतियां (जैसे वन व व्यापार के विनियम) शामिल होती हैं। कई देशों में वित्तपोषण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर एवं विकास के मुद्दों पर प्रमुख शोधकर्ता के तौर पर, विश्व बैंक समूह के विश्लेषण सरकारों, निवेशकों व वित्तीय संस्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं।

बैंक के कई अध्ययन प्रकाशित नहीं किये जाते या फिर गुप्त रखे जाते हैं। इस तरह अक्सर लोगों को कोई जानकारी नहीं होती कि क्या कार्य किया जा रहा है, शोध या उसके निष्कर्षों व सिफारिशों को प्रभावित करने के अवसर तो दूर की बात है। इन अध्ययनों को व्यापक रूप से प्रसार कर पाने में बैंक की असफलता दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वे अपनी सरकारों में हस्तक्षेप करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं एवं कर्मशीलों के लिए विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। यह भी सच है कि बैंक के विश्लेषण एवं समस्याओं की खोजबीन खास तौर पर बाजार की वृद्धि व विकास आधारित अवधारणा के प्रति झुकाव को प्रदर्शित करते हैं, जिससे अक्सर बैंक की नीति, सिफारिश के बारे में काफी लोगों का मानना है कि वे गरीबों के हितों के प्रतिकूल होते हैं।

यह शोध कई विभागों द्वारा तैयार किये जाते हैं, उनमें से कुछ खास देशों एवं क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं, जबकि अन्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में होते हैं।

परियोजना के लिए ऋण : सड़क, खदान एवं बांध निर्माण

विश्व बैंक की सबसे प्रत्यक्ष गतिविधियां अक्सर उसकी निवेश परियोजनाएं होती हैं, जो उसके कार्यक्रमों के रोजी–रोटी के साधन होते हैं। परियोजना के लिए ऋण के अंतर्गत ईंटों–सीमेंट से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के साथ–साथ विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में विशिष्ट गतिविधियों के लिए सहायता दी जा सकती है। परियोजना के लिए निवेश कुछ शर्तों से जुड़ी हो सकती है। जिसमें ऋण लेने वाली सरकार को वित्तपोषण हासिल करने के लिए कुछ खास कार्यवाही व नीति में परिवर्तन करना होता है।

विश्व बैंक के दस्तावेज अक्सर बहुत तकनीकी प्रकृति के होते हैं एवं उन्हें समझना कठिन होता है। सहायता के लिए बीआईसी से सम्पर्क करें : info@bicusa.org

बैंक के दस्तावेज हासिल करने सम्बन्धी सुझावों के लिए देखें भाग 3

विशालकाय परियोजना में निवेश : नर्मदा नदी पर विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना

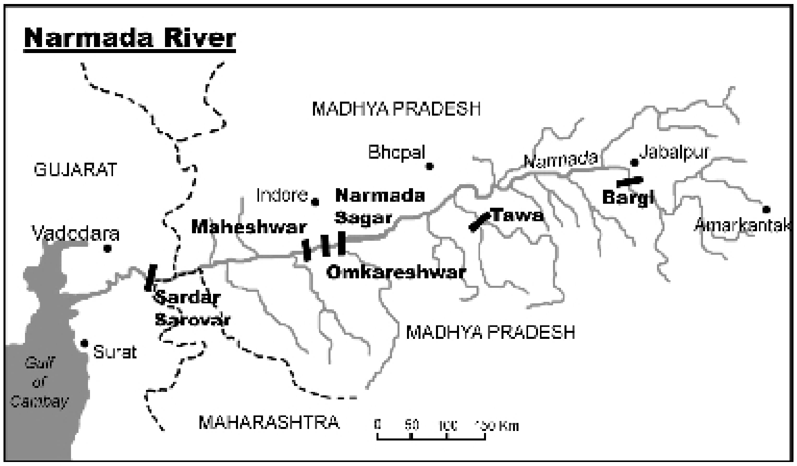

बैंक निवेशित परियोजनाएं लोगों एवं पर्यावरण पर गंभीर विनाशकारी असर छोड़ सकती हैं, जो कि उन्हें बैंक के कार्यक्रमों को नागरिक समाज की आलोचना के लिए स्वाभाविक बिन्दु बनाती है। ऐसी ही एक परियोजना भारत में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा विवादास्पद सरदार सरोवर बांध परियोजना है। सन 1985 में विश्व बैंक ने सरदार सरोवर बांध और नहर परियोजना के लिए जब 45 करोड़ डालर का ऋण देना मंजूर किया तब भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने योजना को मंजूरी के लिए तैयार भी नहीं माना था। परियोजना से अनुमानित 4 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना है और उससे कई गुना प्रभावित। बैंक ने जब योजना को मंजूरी दी तब न तो विस्थापितों की कुल संख्या का आकलन हुआ था, न कोई न्यूनतम सर्वमान्य पुनर्वास योजना नीति बनी थी। पर्यावरण के मुद्दो पर भी यही हाल था। बांध के जलाशय से गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के विस्थापितों में अधिकतर आदिवासी लोग हैं। विस्थापितों या लाभान्वितों को योजना के बारे में न्यूनतम जानकारी तक नहीं दी गई थी। नर्मदा बचाओ आन्दोलन के नेतृत्व में चल रहे विरोध में विस्थापितों के साथ देश और दुनिया के कई संगठन जुड़े। इस आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण निशाना विश्व बैंक था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया और आन्दोलन ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं पायीं। सन 1991 में विश्व बैंक को एक स्वतंत्र समीक्षा करवाने के लिए मंजूरी देनी पड़ी। जून 1992 में मोर्स कमीशन के नाम से मशहूर समीक्षा दल के रिपोर्ट ने आन्दोलन के लगभग सभी मुद्दों को सही ठहराया और अन्य सिफारिशों के साथ यह भी कहा कि बैंक को योजना से तुरंत हट जाना चाहिए क्योंकि योजना में बैंक की तमाम नीतियों का सतत उल्लंघन हुआ है। अंततः 1993 में विश्व बैंक को योजना से हटना पड़ा। विश्व बैंक समूह की नीतियों में नब्बे के दशक में आये बदलाव का श्रेय नर्मदा बचाओ आन्दोलन जैसे प्रयासों को जाता है। योजना के विस्थापितों का आन्दोलन आज भी जारी है और विस्थापित तथा कई जाने–माने राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय संगठन आज भी इस त्रासदी के लिए विश्व बैंक को जिम्मेदार मानते हैं।

हालांकि निवेश ऋण विभिन्न किस्म की गतिविधियों को सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन बैंक की प्रक्रिया सभी परियोजनाओं के लिए एक समान होती है। ऋण लेने वाली सरकार के साथ काम करने के लिए परियोजना ''कार्यदल'' का गठन किया जाता है, जो परियोजना तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। दल के नेता नियुक्त किये जाते हैं एवं दल में बैंक के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। सरकार अंततः परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, एवं इस चरण में उसकी भूमिका प्रमुख होती है।

परियोजनाएं निर्धारित परियोजना चक्र के अनुसार विकसित होती हैं। इन चक्रों को समझने से आप यह जान पाते हैं कि कौन सी जानकारी एवं खास परियोजना दस्तावेज परियोजना विकास के विभिन्न चरण में उपलब्ध होने चाहिए, एवं परियोजना के चयन, डिजाइन या क्रियान्वयन के निर्णय के बारे में हस्तक्षेप करने के महत्वपूर्ण अवसर कब होते हैं (देखें एक नजर : परियोजना व नीति सहायता चक्र एवं प्रमुख दस्तावेज)।

विश्व बैंक शोध के प्रकार	विवरण
गरीबी आकलन	एक देश में गरीबी के कारणों व परिणामों का आकलन करती है एवं परीक्षण करती है कि किस प्रकार सार्वजनिक नीतियां गरीबों को प्रभावित करती हैं।
सार्वजनिक व्यय समीक्षा	सरकारी व्यय की कार्यक्षमता एवं व्यवस्था का मूल्यांकन करती है।
देश की बाजार से खरीदी (procurement) एवं वित्तीय प्रबंध आकलन	सार्वजनिक अनुबंध आबंटित करने की देश की प्रक्रिया की गुणवत्ता की समीक्षा करती है एवं उसकी लेखा एवं परीक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करती है।
निवेश वातावरण आकलन	विदेशी निवेशकों के लिए देश की नीतियों व कानूनों के आकर्षण एवं व्यापार करने की कीमत का आकलन करती है।
विभाग/विषय अध्ययन (शिक्षा, वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग व व्यापार, आदि)	किसी विभाग/विषय में नीतियों, संस्थाओं व निवेशों के महत्व व उनके प्रभाव का परीक्षण करती है एवं सिफारिश करती है। इसका कोई मानक तरीका नहीं होता बल्कि विषय व बैंक के केन्द्र बिन्दु के अनुसार बदलता है।

शर्तों के परिणाम :
बैंक की नीति ऋण ने मोजाम्बिक में काजू व्यापार को कैसे नष्ट किया

नब्बे के दशक में, बैंक ने अपने वित्तपोषण का मोजाम्बिक सरकार पर देश की सबसे बड़ी नगदी फसल काजू व्यापार के उदारीकरण के लिए दबाव बनाने में इस्तेमाल किया। किसानों से सब्सिडी एवं अन्य सहायता छीनकर एक गरीब देश के काजू उत्पादकों को कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के हवाले कर दिया। इस तरह उनके फसलों की कीमत में भारी गिरावट आई।

हांलाकि विश्व बैंक ने दलील दी थी कि बाजार के उदारीकरण से देश के विकास में वृद्धि होगी, लेकिन इस सुधार से मोजाम्बिक का एक मुख्य उद्योग एवं सरकार के राजस्व का एक प्राथमिक स्रोत बहुत तेजी से नष्ट हो गया। किसानों, उद्योगपतियों एवं यूनियनों के विरोध के बावजूद भी, मोजाम्बिक सरकार बैंक की उधारी हासिल करने के लिए उदारीकरण लागू करने के लिए बाध्य थी।

बैंक द्वारा अपने नीति एवं सुधार सहायता के लिए इसी किस्म की शर्तें लादना आज भी जारी है। बैंक देशों को दो में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए बाध्य करता है। यदि देश बैंक की नीति सुझाव को यह कहते हुए नकारते हैं कि वह उनकी जनता के हित में नही है, तो वे आवश्यक ऋण सहायता से हाथ धो बैठते हैं। या फिर वे यह जानने के बावजूद कि, वे बैंक की शर्तें उनकी जनता एवं पर्यावरण के प्रति खतरा पैदा कर सकते हैं, बैंक के सशर्त वित्तपोषण को स्वीकार करते हैं।

एमआईजीए : जानकारी का बंद डब्बा

गारंटी देने वाली भूमिका के कारण एमआईजीए की वास्तविक परियोजना क्रियान्वयन से दूरी आईएफसी या बैंक के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इस वास्तविकता के कारण तथा एमआईजीए द्वारा समर्थित परियोजनाओं के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं होने से जनता व नागरिक समाज को एमआईजीए की भूमिका को समझना मुश्किल होता है। एमआईजीए द्वारा समर्थित परियोजनाओं में पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में कब और कैसे शिकायत दर्ज करें यह समझना भी नागरिक समाज के लिए बहुत मुश्किल होता है।

नीति सहायता ऋण : कानून, नियम व संस्थाओं को बदलना

बैंक द्वारा आपके देश में ऋण या अनुदान के रूप में दिये जाने वाली रकम का एक हिस्सा आपके देश की कानूनों, नियमों या संस्थाओं में कुछ खास परिवर्तनों के लिए सीधे सरकारी खाते में जाता है। इस किस्म के वित्तपोषण को अक्सर ''सुधार'' या ''विकास नीति'' के लिए ऋण कहा जाता है, जो सड़कों, खदानों और बड़े बांधो जैसे भौतिक निवेश को मदद नहीं करते हैं। इसके बदले, वह धन बैंक द्वारा आपके सरकार को सुझाये गये नीति व संस्थागत सुधार अपनाने के लिए प्रोत्साहन व आधार दोनों ही प्रदान करता है। बैंक अपने धन को बगैर सोचे समझे आबंटित नहीं करता है। सुधार के लिए दी जाने वाली ऋण खास तौर पर एक या ज्यादा किस्तों में दी जाती है, जिसमें से प्रत्येक किश्त लेने वाले की खास आवश्यकता की पूर्ति से जुड़ी होती है।

निवेश परियोजनाओं की ही तरह, नीति ऋण व अनुदान खासतौर पर एक अर्थशास्त्री के नेतृत्व में कार्यदल द्वारा विकसित किये जाते हैं। ये निवेश ऋण की ही तरह लेकिन खास दस्तावेज के अनुरुप सुधार सहायता के परियोजना चक्र का पालन करते हैं (देखें एक नजर : परियोजना व नीति सहायता चक्र एवं दस्तावेज)। परियोजना ऋण के मुकाबले नीति ऋण के बारे में जानकारी हासिल करने एवं विषयवस्तु में हस्तक्षेप के अवसर सीमित होते हैं। ''सुधार ऋण'' के माध्यम से जिन नीतियों पर ध्यान दिया जाता है वे ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं क्योंकि विश्व बैंक एवं सरकारी अधिकारी खासतौर पर इस पर गुप्त रूप से चर्चा करते हैं एवं इसमें नागरिकों को कोई जानकारी या दखल का अधिकार नहीं होता है। जबकि, अपारदर्शी एवं उदासीन लगने वाले नीति सुधार का परिणाम जनता पर बहुत प्रत्यक्ष – और कई बार भयावह – होता है।

निवेश के अलावा : तकनीकी सहायता एवं परामर्श सेवा

अपनी वित्तीय गतिविधियों के अलावा, आईएफसी एवं एमआईजीए दोनों ही विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकारों को निजी क्षेत्र के विकास, निजीकरण एवं निवेश वातावरण में सुधार के बारे में तकनीकी सहायता एवं परामर्श सेवा प्रदान करते हैं। आईएफसी के परामर्श सेवाओं के उदाहरण के अंतर्गत कैमरून की सरकार को उसकी बिजली कम्पनी के निजीकरण करने के बारे में एवं केन्या सरकार को उसकी रेल व्यवस्था के निजीकरण करने के बारे में परामर्श देना शामिल है। एमआईजीए ''सीमांत'' देशों, युद्ध प्रभावित देशों एवं ढांचागत निवेश पर विशेष जोर देते हुए देशों को बाजार निवेश के अवसर पहचानने एवं चयन करने में सहायता करता है।

निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना : आपके देश में आईएफसी एवं एमआईजीए

आईएफसी एवं एमआईजीए सीधे तौर पर विकासशील व प्रगतिशील देशों में निवेश करने वाली निजी क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय कम्पनियों को वित्तपोषण करतें हैं। ये अक्सर विश्व बैंक समूह द्वारा सरकारों को दी जाने वाली ऋण व सलाह द्वारा समर्थित नीति सुधार को आगे बढ़ाती है। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, एवं खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करवाना विश्व बैंक समूह के विकास प्रारूप का मुख्य दृष्टिकोण है। व्यवहारिक साक्ष्यों के आधार पर एफडीआई के महत्व को चुनौती दी गई है, क्योंकि ये बढ़ती हुई एफडीआई एवं जन कल्याण के आपसी सम्बन्ध को प्रमाणित नहीं करती है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग (अंकटाड–UNCTAD) द्वारा हाल ही में कराये गये अध्ययन से यह बात साबित होती है कि एफडीआई वैसी उपयुक्त चीज नहीं है जैसे विश्व बैंक समूह सलाह देता है व उसके विश्लेषण कई बार ऐसे बताने की कोशिश करते है। किसी देश के लिए आईएफसी–एमआईजीए की

गतिविधियां बैंक की सीएएस में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुकूल (या उसके बराबर की रणनीति) होनी चाहिए। लेकिन न तो आईएफसी और न ही एमआईजीए कोई देश में अपने हस्तक्षेप के लिए अपनी औपचारिक रणनीति को प्रकाशित करता है, इसलिए जिस क्षेत्र में वे शामिल होते हैं या खास परियोजना को जो आगे बढ़ाते हैं उसका चयन कैसे करते हैं यह जानना मुश्किल होता है। जिस तरह विश्व बैंक में परियोजना के लिए कार्य दल प्रमुख जिम्मेदार होता है उसी तरह आईएफसी एवं एमआईजीए के दल के प्रयुक्त कर्मचारी उनके द्वारा निजी कम्पनियों को प्रदान किये जाने वाले ऋण, निवेश एवं गारंटियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आईएफसी में निवेश अधिकारियों द्वारा एवं एमआईजीए में बीमाकर्ता द्वारा नेतृत्व किये जाने वाले ये दल, बैंक परियोजनाओं पर कार्य करने वाले के मुकाबले अक्सर छोटे होते हैं।

आईएफसी एवं एमआईजीए के परियोजना चक्र ज्यादा अपारदर्शी एवं विश्व बैंक के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। आईएफसी एवं एमआईजीए यह दावा करते हैं कि वे व्यापार की गोपनीयता की आवश्यकता से बंधे हुए है, इसलिए सार्वजनिक तौर पर परियोजनाओं के चयन, डिजाइन एवं उसके क्रियान्वयन के बारे में ज्यादा जानकारी प्रकट नहीं करते हैं। संस्था द्वारा मदद की जाने वाली विकास परियोजनाओं पर सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट जारी नहीं करने से यह मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है कि संस्थाएं गरीबी उन्मूलन एवं टिकाऊ विकास के लिए कितना सही योगदान कर रही हैं।

उनके निजी क्षेत्र के क्रियाकलापों के बारे में व्यवहारिक तौर पर पूर्व सूचना न देने एवं कम सार्वजनिक जानकारी होने के साथ–साथ परियोजना चक्र की छोटी अवधि होने के कारण आईएफसी एवं एमआईजीए के कार्यक्रमों पर सार्वजनिक हस्तक्षेप करने के अवसर बहुत सीमित होते हैं। रिपोर्ट तैयार करते समय गरीबों पर उनकी परियोजनाओं से होने वाले प्रत्येक असर के बारे में रिपोर्ट करने से आईएफसी अब भी इनकार करता है। इसके बदले वे अपने कार्यक्रमों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक असरों पर संयुक्त या संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। हालांकि, नागरिक समाज आईएफसी–एमआईजीए के इज्जत की जोखिम पर उनकी संवेदनशीलता का उपयोग करते हुए कुछ समस्याग्रस्त परियोजनाओं में सुधार करने या यहां तक कि उन्हें रोकने के लिए आईएफसी एवं एमआईजीए पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं। खासकर आईएफसी अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखता है क्योंकि व्यवसाय के लिए उसकी प्रतियोगिता सीधे निजी ऋणदाताओं के साथ है।

आपके देश में विश्व बैंक परियोजनाओं के बारे में आप किससे बात कर सकते हैं?

नागरिक समाज संगठन विश्व बैंक समूह के बारे में कई स्रोतों से जानकारी हासिल कर सकते हैं : जैसे संस्था से सीधे, सरकारों एवं अन्य नागरिक समाज संगठनों से। आपके उद्देश्य के अनुरूप बैंक के

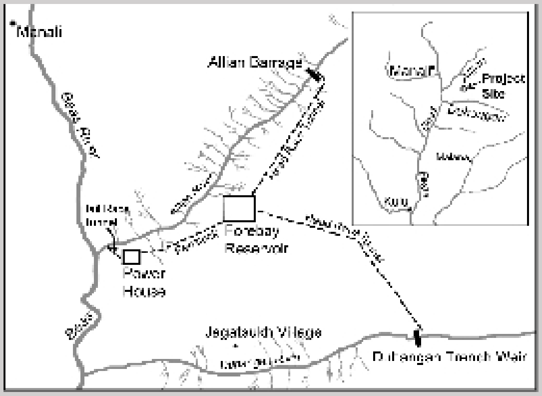

भारत की विवादास्पद अलायन दुहंगन जलविद्युत परियोजना : आईएफसी एवं सीएओ की वास्तविकता

आईएफसी ने सितम्बर 2004 में भारत के हिमाचल प्रदेश में 192 मेगावाट की अलायन दुहंगन पनबिजली परियोजना के निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन में मदद के लिए ऋण एवं भागीदारी सहायता प्रदान की है। स्थानीय समुदायों द्वारा सामाजिक व पर्यावरणीय मुद्दों पर विरोध के बावजूद इस परियोजना पर सहायता जारी है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान परियोजनाकारों द्वारा दर्जनों बार पर्यावरणीय मानकों के घोर उल्लंघन के परिणामस्वरुप सरकार ने उन पर अब तक करीब 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सितम्बर 2007 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ हफ्तो तक परियोजना का काम भी रोका था। आईएफसी ने इस परियोजना को 5.3 करोड़ डालर सहायता की मंजूरी दी है। दिसम्बर 2007 में आईएफसी के वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस योजना को और करीब 4.1 करोड़ डालर का ऋण देना प्रस्तावित है क्योंकि परियोजना का अपने समय पर पूरा होना संभव नहीं है और परियोजना की कुल लागत भी करीब 83 प्रतिशत बढ़ गई है। इससे साफ होता है कि आईएफसी के लिए सामाजिक–पर्यावरणीय व लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना महत्व है इसका आकलन लगाया जा सकता है। नागरिक समाज द्वारा परियोजना में आईएफसी की नीतियों व नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आईएफसी के सीएओ कार्यालय में की गई शिकायतों का भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। वैसे नागरिक समाज की शिकायत अब भी खारिज नहीं की गई है और सीएओ कार्यालय के पास अभी भी मौका है कि समस्या का सार्थक हल निकाले। (सीएओ के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भाग 5 देखें।)

अन्दर ही कई विभिन्न सम्पर्क होते हैं। कई आशंकाओं एवं निवेदनों को राष्ट्रीय कार्यालयों द्वारा निपटाया जा सकता है। कुछ अन्य आशंकाओं का बेहतर निपटारा वाशिंगटन डी॰सी॰ स्थित मुख्यालय द्वारा किया जाता है। पहला कदम यह देखना होता है कि आपके देश में बैंक का कार्यालय है या नहीं। बैंक के 100 से भी ज्यादा देशों में कार्यालय हैं; आप पूरी सूची बैंक की वेबसाइट : www.worldbank.org/countries पर पा सकते हैं। विभिन्न ऋण लेने वाले देशों में आईएफसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन एमआईजीए के समस्त क्रियाकलाप वाशिंगटन डी॰सी॰ कार्यालय से होते हैं।

आपकी सरकार एवं नागरिक समाज संगठन भी आपके देश में विश्व बैंक समूक की गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए अच्छे स्रोत हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भाग 3 देखें।

विश्व बैंक समूह में उपयोगी सम्पर्क

जानकारी के प्रकार	किससे सम्पर्क करें	वहां तक कैसे पहुंचे
आपके देश में विश्व बैंक समूह के कार्यक्रमों के किसी पहलु के बारे में **सामान्य सवाल** या आशंकाएं	**देश निदेशक**	विश्व बैंक वेबसाइट में देश सम्बन्धित पृष्ठ : www.worldbank.org/countries देखें
विश्व बैंक समूह में **जानकारी या सम्पर्क के लिए मार्गदर्शन चाहना;** आपके देश में बैंक की प्रक्रियाओं व घटनाओं पर जानकारी, जैसे कि परामर्श/ जन सुनवाई	**नागरिक समाज सम्पर्क**	आपके देश में नागरिक समाज सम्पर्क के लिए विश्व बैंक की वेबसाइट देखें। नोट : उनके पास परियोजनाओं या नीतियों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, इसलिए बैंक कर्मचारियों के प्रत्यक्ष सम्पर्क की जगह ये नहीं ले सकते।
विश्व बैंक, आईएफसी एवं एमआईजीए के कार्यक्रमों के बारे में **परियोजना आधारित सवाल**	**विश्व बैंक : कार्य दल प्रमुख आईएफसीः प्रमुख निवेश अधिकारी** **एमआईजीए : बीमाकर्ता**	इन लोगों की पहचान व इनके बारे में जानकारी करना कठिन हो सकता है। सहायता के लिए बीआईसी से सम्पर्क करे : info@bicusa.org
मंजूरी से पूर्व **विश्व बैंक समूह की प्रस्तावित रणनीति, नीति या परियोजना के बारे में आशंकाएं**	**विश्व बैंक समूह के निदेशक मंडल में आपके देश का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक**	कार्यकारी निदेशकों व उनके सम्पर्कों की नवीनतम सूची के लिए बीआईसी की वेबसाइट देखें : www.bicusa.org/wbexecutivedirector
विश्व बैंक समूह की परियोजनाओं या नीतियों से हुए नुकसान की आशंका के बारे में, जिसका हल विश्व बैंक समूह द्वारा अभी तक नहीं किया गया	**विश्व बैंक निगरानी पैनल एवं आईएफसी/एमआईजीए के अनुपालन सलाहकार मार्गदर्शक**	नागरिक शिकायत प्रक्रिया पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शिका का भाग 5 देखें
विश्व बैंक समूह के किसी कार्यक्रमों से सम्बन्धित **भ्रष्ट्राचार** की आशंका या जानकारी के लिए	**विश्व बैंक भ्रष्ट्राचार हॉटलाइन (अनुवाद सेवा सहित, 24 घंटे निःशुल्क, बेनामी कॉल स्वीकार करता है)**	निःशुल्क कॉल : 1—800—831—0463 कॉल लेने वाले के खर्च पर कॉल का न॰ : 704—556—7046 पताः पीएमबी 3767 13950, बल्लांटाइन कॉरपोरेट प्लेस चारलोट, एनसी 28277, अमेरिका

आपके सरकार में सम्पर्क

वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय स्तर पर उसकी समकक्ष संस्था विश्व बैंक एवं ऋण लेने वाली सरकारों के बीच मुख्य मध्यस्थ का काम करती है। सैद्धान्तिक तौर पर, विश्व बैंक समूह के साथ परियोजना प्रस्ताव व उसे तय करने लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार होता है। इस तरह विश्व बैंक आपके देश में क्या कर रहा है यह जानने के लिए वित्त मंत्रालय से सम्पर्क करना भी उपयोगी माध्यम हो सकता है। सबन्धित विभाग या जिम्मेदार मंत्रालय जैसे कि परिवहन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय आदि अपने क्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और निदेशक मंडल से परियोजना को मंजूरी के बाद जानकारी के प्रमुख स्रोत होते हैं।

विश्व बैंक समूह के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी के लिए आप अपने सांसदों से भी सम्पर्क कर सकते हैं। कुछ देशों में, सरकारों द्वारा लिये जाने वाले समस्त ऋणों की समीक्षा करवाने व मंजूरी लेने या देश में बैंक जैसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के कार्यक्रमों की निगरानी करना संसद का काम होता है।

हालांकि विश्व बैंक का अपने कार्यक्रम के बारे में देश की स्वामित्व को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य होता है, लेकिन वास्तव में ज्यादातर सम्बन्धित विभाग एवं निर्वाचित पदाधिकारी उन परियोजनाओं के निर्णयों में शामिल नहीं होते, जिन्हें विश्व बैंक वित्तपोषित करता है। नागरिक समाज के लोग ऋण लेने वाले देशों में अपने देश के निर्वाचित पदाधिकारियों से विश्व बैंक समूह के कार्यक्रमों की निगरानी में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान कर रहे हैं। इस प्रयास के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अंतरराष्ट्रीय सांसदो की याचिका का वेबसाइट : www.ippinfo.org देखें। (हमारे लिखे जाने के समय यह वेबसाइट काम नही कर रही है)

विश्व बैंक समूह के बाहरी मामलों पर सुझाव एवं सावधानियां

बैंक अपने बाहरी सम्पर्क कर्मचारियों के माध्यम से नागरिक समाज के समस्त सम्पर्क को संचालित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये सम्पर्क के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं एवं विभिन्न आशंकाओं के मामले में समूहों को मदद कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति अक्सर देश निदेशक या परियोजना कार्य प्रबंधकों के पास होती है। नागरिक समाज समूहों को बैंक के निर्णयों के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ सीधे सम्पर्क बनाने पर जोर देना चाहिए।

संक्षेप में

- आपके देश में विश्व बैंक के कार्यक्रम विभिन्न प्रमुख दस्तावेजों द्वारा निर्देशित होते हैं। बैंक की सहमति से कम आय वाले देश की सरकारों द्वारा तैयार किये जाने वाले गरीबी उन्मूलन रणनीति पत्र (पीआरएसपी) देश की अल्पकालीन गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों के बारे में बताती है। बैंक की देश सहायता रणनीति (सीएएस) (या समकक्ष) एक देश में 3 से 5 साल की अवधि के लिए उनके नियोजित कार्यक्रमों के बारे में वर्णन करती है। नागरिक समाज का इन दस्तावेजों के विषय–वस्तु में हस्तक्षेप अभी भी बहुत सीमित है।
- बैंक शोध व विशलेषण, परियोजना निवेश व नीति ऋण के माध्यम से अपने देश की रणनीति पर अमल करता है, ये सभी आपकी सरकार की नीतियों एवं अन्य ऋणदाताओं के कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती हैं।
- बैंक अपनी परियोजना की तैयारी, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के चरणों के दौरान कई किस्म के दस्तावेज तैयार करता है। कौन से दस्तावेज तैयार किये जाते हैं, यदि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होते हैं तो कब, एवं उन्हें किस तरह हासिल करें, यह जानना नागरिक समाज के एड्वोकेसी प्रयासों को मजबूती दे सकता है।
- अपने देश में विश्व बैंक समूह के कार्यक्रमों के बारे में विश्व बैंक के वेबसाइट www.worldbank.org/countries के माध्यम से जाने। विश्व बैंक का देश निदेशक, आपका वित्त मंत्रालय (या समकक्ष) एवं अन्य नागरिक समाज संगठन भी अच्छे माध्यम होते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें!

नागरिक समाज के संसाधन (यहां व अन्यत्र अंग्रेजी सामग्री के शीर्षक का अनुवाद नहीं किया है क्योंकि ये सामग्री हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।)

- ''दि वर्ल्ड बैंक्स ''मास्टर प्लान'' फॉर योर कंट्री : दि कंट्री एसिसटेंस स्ट्रेटजी''। बैंक इंफॉर्मेशन सेंटर। www.bicusa.org/bicusa/issues/misc_resources/294.php
- ''दि ड्राइव टू प्राइवेटाइज बेसिक सर्विसेज इन डेवलेपिंग कंट्रीज''। नैन्सी अलेक्जेंडर एवं टीम केसलर, जुलाई 2006। www.bicusa.org/bicusa/issues/BIC%20IFI%20Info%20Brief%20The%20Drive%20to%20Privatize%20Basic%20Services%20July%2011.pdf
- ''मेनस्ट्रीमिंग ऑर अंडरमाइनिंग सस्टेनिबिलिटी? दि मर्जर ऑफ दि वर्ल्ड बैंक्स इनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्कस्''। ब्रुस जेनकिंस, बैंक इंफॉर्मेशन सेंटर, जुलाई 2006। www.bicusa.org/bicusa/issues/Mainstreaming_or_undermining_sustainability.pdf
- ''दि एबीसी ऑफ पीआरएसपी''। ब्रेटन वुड्स प्रोजेक्ट www.brettonwoodsproject.org/topic/adjustment/abcprsp.html
- अंतरराष्ट्रीय सांसदों की याचिका का वेबसाइट : www.ippinfo.org
- बहुपक्षीय विकास बैंकों में भ्रष्ट्राचार पर यू॰एस॰ के विदेशी सम्बन्ध की संसदीय समिति के समक्ष मनीश बापना का उदाहरण www.bicusa.org/bicusa/issues/BIC_testimony_senate13may04.pdf
- ''दि वर्ल्ड बैंक स्ट्रेट्जी ऑन गवर्नेंस एंड एंटी–करप्सन, ए सिविल सोसायटी पर्सपेक्टिव''. Zoë Wildig, CAFOD and Caoimhe De Barra, Trócaire, August 2006. www.cidse.org

इन मुद्दों पर कार्यरत संगठन एवं नेटवर्क

- वैश्विक वित्तपोषण के नये नियम : www.newrules.org
- वैश्विक पारदर्शिता के प्रयास : www.ifitransparency.org
- बैंक इंफॉर्मेशन सेंटर : www.bicusa.org
- अनुच्छेद 19 : मुक्त अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक अभियान : www.article19.org
- ifiwatch/GAP/IRN

विश्व बैंक के संसाधन

- गरीबी उन्मूलन रणनीति पत्र (पीआरएसपी) वेबसाइट : www.worldbank.org/prsp
- देश सहायता रणनीति (सीएएस) वेबपेज : www.worldbank.org/cas
- परियोजना चक्र वेबपेज : www.worldbank.org/projectcycle
- देशों के वेबपेज : www.worldbank.org/countries
- परियोजनाओं के आंकड़े : www.worldbank.org/projects
- दस्तावेजों के आंकड़े : www.worldbank.org/reference/
- ऋण से दबे गरीब देशों के लिए प्रयास का वेबसाइटः www.hipc.org
- जानकारी प्रकट करने की नीति : www.worldbank.org/disclosure

एक नजर :
विश्व बैंक परियोजना का ऋण चक्र

1. रणनीति एवं चयन विश्व बैंक द्वारा परियोजनाओं का चयन सीएएस एवं सरकारों के अनुरोध के अनुसार करना होता है, लेकिन लोगों के लिए यह निर्धारित करना कठिन होता है कि किस तरह किसी खास परियोजना का चयन किया जाता है। सीएएस तैयार करते समय परामर्श प्रक्रिया से बैंक के कार्यक्रम व परियोजना के चयन में लोगों को हस्तक्षेप का शुरूआती अवसर मिलता है। परियोजना चक्र का सबसे पहला मील का पत्थर होता है परियोजना चयन। इस चरण में, बैंक प्रबंधन परियोजना के सैद्धन्तिक दस्तावेज की समीक्षा एवं उन्हें औपचारिक मंजूरी देता है।

2. तैयारी एवं आकलन परियोजना की तैयारी के दौरान, बैक का कार्यदल परियोजना की डिजाइन तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऋण लेने वाली सरकार या उनके द्वारा निर्धारित सलाहकार द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक असर आकलन एवं संभाव्यता अध्ययन करायी जाती हैं। ज्यादातर परियोजना–स्तरीय जन सुनवाई प्रक्रिया भी इसी चरण में होते हैं। चक्र में दूसरा मील का पत्थर होता है आकलन – इस दौरान प्रबंधन परियोजना आकलन दस्तावेज (पीएडी) की समीक्षा करता है व मंजूरी देता है और ऋण चाहने वाली सरकार को परियोजना व उससे सम्बन्धित शर्तों के बारे में बातचीत के लिए आमंत्रित करता है। दुर्भाग्यवश, परियोजना पर अंतिम निर्णय लेने के पहले परियोजना आकलन दस्तावेज (पीएडी-PAD) को लोगों के लिए सार्वजनिक नहीं किया जाता है।

3. बोर्ड की मंजूरी परियोजना तैयारी के दौरान निदेशक मंडल द्वारा परियोजना की मंजूरी की तिथि की सार्वजनिक घोषणा की जाती है और यह कार्यकर्ताओं के लिए प्रमुख मौका प्रस्तुत करता है। योजना की तैयारी के चरण के दौरान बची हुई किसी समस्या को मंजूरी से पूर्व निदेशक मंडल के समक्ष लाया जाना चाहिए। ऋण सहमति एवं पीएडी निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद सार्वजनिक की जाती है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं बैंक के साथ आपके सरकार के अधिकारी इस चरण में बहुत महत्वपूर्ण सम्पर्क हो सकते हैं।

4. क्रियान्वयन इस चरण के दौरान, बैंक का वित्तपोषण जारी होता है एवं सरकार परियोजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परियोजना क्रियान्वयन में मोटे तौर पर 5–6 साल लगते हैं, लेकिन यह अवधि काफी बदल सकती है। इस चरण में बैंक की निगरानी रिपोर्ट सहित – शायद ही कोई जानकारी सार्वजनिक की जाती है। सरकार की क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी एवं बैंक का योजना सम्बन्धी कार्यदल इस चरण में महत्वपूर्ण सम्पर्क होते हैं।

5. मूल्यांकन परियोजना के पूरा होने पर बैंक के कर्मचारी बैंक एवं ऋण लेने वाली संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए योजना पूर्णता रिपोर्ट तैयार करते हैं। बैंक के अन्दर स्वतंत्र मूल्यांकन समूह कुछ चयनित परियोजनाओं एवं क्षेत्रों का आकलन करते हैं। ये मूल्यांकन सार्वजनिक होते हैं। बैक दावा करता है कि मूल्यांकनों से मिली सीख भावी परियोजनाओं के डिजाइन करने में मदद करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि भावी परियोजनाओं में पूर्वगामी क्रियाकलापों के अनुभव से कोई प्रभाव पड़े।

तार्किक तौर पर, लोगों के लिए, परियोजना चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है निदेशक मंडल की मंजूरी। मूलतः परियोजना चक्र को ''मंजूरी पूर्व'' एवं ''मंजूरी के बाद'' के दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। जब तक निदेशक मंडल द्वारा वित्तपोषण की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक परियोजना तैयारी की स्थिति में ही होती है और परियोजना की डिजाइन में परिवर्तन या उसे निरस्त किया जा सकता है। जन सुनवाई एवं असर अध्ययन से सम्बन्धित ज्यादातर आवश्यकताएं मंजूरी से पूर्व, परियोजना तैयारी के दौरान लागू होते हैं। निदेशक मंडल जब परियोजना को एक बार मंजूरी दे देती है तो प्रभावित समुदायों के साथ जारी परामर्श की एवं लोगों को समीक्षा के लिए कुछ ढांचागत अवसर या परियोजना के कार्यरत करने के तरीके पर हस्तक्षेप के मौके नहीं मिलते हैं। वित्तपोषण की मंजूरी के बाद परियोजना निर्माणकर्ता पर, चाहे वह सरकार हो या निजी कम्पनी, विश्व बैंक समूह की पकड़ काफी कम हो जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि परियोजना चक्र की शुरूआत में ही जितनी जल्द हो सके समस्त समस्याओं को हल करने एवं मुद्दों पर ध्यान देने के लिए दबाव बनाया जाय। निदेशक मंडल में परियोजना के बारे में कब चर्चा होनी है, यह मालूम होना प्रभावी एड्वोकेसी रणनीति योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार हो सकता है।

एक नजर :
परियोजना आधारित ऋण के लिए प्रमुख दस्तावेज

परियोजना चरण	दस्तावेज	सार्वजनिक करने की स्थिति
रणनीति एवं चयन	देश सहायता रणनीति (सीएएस) : देश में 3 से 5 साल की अवधि तक बैंक की प्राथमिकताओं एवं प्रस्तावित ऋण व गैर ऋण गतिविधियों को रेखांकित करता है।	हां (मसौदे प्रकट नहीं होते)
	मासिक क्रियाकलाप (एमओएस) : बैंक की वेबसाइट में हर महीने प्रकाशित होता है, सभी सहायता लेने वाले देशों में एमओएस तैयारी के चरण वाली परियोजनाओं की सूची दर्शाता है।	हां
	परियोजना विचार दस्तावेज (पीसीडी) : परियोजना के डिजाइन, मुख्य घटकों, पर्यावरणीय व सामाजिक असर व ऋण की मात्रा के बारे में पहला अवलोकन प्रदान करता है। परियोजना तैयारी से पूर्व पीसीडी की औपचारिक मंजूरी आवश्यक होती है। सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन अनुरोध किया जाना चाहिए।	नहीं
तैयारी एवं आकलन	परियोजना जानकारी दस्तावेज (पीआईडी) : कोई योजना का सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले उपलब्ध होने वाला दस्तावेज। पीसीडी का सारांश प्रदान करता है। निदेशक मंडल की मंजूरी से पूर्व समय–समय पर नवीनीकरण किया जाता है।	हां
	पुनर्वास कार्ययोजना (आरएपी) : परियोजना क्षेत्र में प्रभावित समुदायों पर अनुमानित असरों का वर्णन करती है एवं बताती है कि उनकी आजिविका को कायम करने या उसे बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे। अनैच्छिक शारीरिक व आर्थिक विस्थापन करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए आवश्यक होता है। इसे सार्वजनिक तौर पर प्रकट करना होता है एवं परियोजना मंजूरी से पूर्व परामर्श करके पूर्णतः तैयार करना होता है।	हां
	पर्यावरण आकलन (इए) : अनुमानित पर्यावरणीय एवं सामाजिक असरों एवं उसे कम करने के सम्बन्धित उपायों के बारे में वर्णन करती है। ज्यादा पर्यावरणीय असर या विस्थापन (श्रेणी ए) से जुड़ी परियोजनाओं को ज्यादा गहराई से इए करना होता है। परियोजना की मंजूरी से 60 दिन पूर्व प्रकट करना होता है, परियोजना मंजूरी से पूर्व जन परामर्श पूरा करना पड़ता है।	हां
मंजूरी	परियोजना आकलन दस्तावेज (पीएडी) : निदेशक मंडल के लिए तैयार किया जाता है, पीएडी परियोजना की आवश्यकता, घटकों, बजट एवं क्रियान्वयन योजना के बारे में व्यापक वर्णन करती है। मंडल की मंजूरी के बाद सार्वजनिक किया जाता है।	हां (पीएडी का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया जाता)
क्रियान्वयन	परियोजना निगरानी रिपोर्ट (पीएसआर) – परियोजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए बैंक की प्रमुख रिपोर्ट। परियोजना की सफलता के लिए प्रमुख मुद्दे एवं जोखिम का वर्णन किया जाता है। हर छः माह में तैयार किये जाते हैं। पीएसआर सार्वजनिक नहीं किये जाते, चूंकि ये उपयोगी दस्तावेज हैं, इसलिए इसके लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।	नहीं
मूल्यांकन	क्रियान्वयन पूर्णता रिपोर्ट (आईसीआर) : लक्ष्य हासिल करने में परियोजना की सफलता का मूल्यांकन करती है एवं बैंक व ऋण लेने वाले के प्रदर्शन का आकलन करती है। परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के अन्दर तैयार किये जाते हैं। स्वमूल्यांकन होने की वजह से, आईसीआर अक्सर प्रदर्शन की अच्छी तस्वीर पेश करती है।	हां
	स्वतंत्र मूल्यांकन समूह (आईइजी) रिपोर्ट : बैंक का स्वतंत्र मूल्यांकन समूह चुनी हुई परियोजनाओं व क्षेत्रों का गुणवत्ता मापने व समस्या उजागर करने के लिए मूल्यांकन करती है। आईइजी रिपोर्ट सामान्य तौर पर सार्वजनिक किये जाते हैं।	हां (ज्यादातर, लेकिन सभी नहीं)

एक नजर :
नीति आधारित ऋण के लिए प्रमुख दस्तावेज

परियोजना चरण	दस्तावेज	सार्वजनिक करने की स्थिति
रणनीति एवं पहचान	विचार दस्तावेज (सीडी) : आवश्यक नीति सुधार एवं प्रस्तावित नीति ऋण को रेखांकित करती है। तैयारी को आगे बढ़ाने से पूर्व प्रबंधन की औपचारिक मंजूरी आवश्यक होती है। सार्वजनिक नहीं किये जाते लेकिन अनुरोध किया जाना चाहिए।	नहीं
तैयारी एवं आकलन	परियोजना जानकारी दस्तावेज (पीआईडी) : सबसे पहले उपलब्ध होने वाले सार्वजनिक दस्तावेज। विचार दस्तावेज का सारांश प्रदान करता है। निदेशक मंडल की मंजूरी के पूर्व समय–समय पर नवीनीकरण होता है।	हां
	कार्यक्रम दस्तावेज (पीडी) : नीति क्रियाकलाप के बारे में व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर सहायतार्थ या भावी वित्तपोषण हासिल करने के पूर्व या दौरान आवश्यक सुधार का भी वर्णन होता है। परिशिष्ट में ऋण सम्बन्धित शर्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद सार्वजनिक होता है।	हां (पीडी के मसौदे सार्वजनिक नहीं किये जाते)
मंजूरी	विकास नीति पत्र (एलडीपी) : ऋण लेने वाली सरकार विकास नीति संचालन द्वारा समर्थित लक्ष्यों, नीतियों एवं उपायों – खासतौर पर एलडीपी में सरकार की लगभग सभी रणनीति का उप संग्रह – का वर्णन करती है।	हां
	ऋण समाझौता (एलए) : ऋण लेने वाली सरकार की बैंक के प्रति बाध्यकारी जिम्मेदारियों के साथ–साथ ऋण आवंटन एवं वापसी समयावधि को रेखांकित करती है। यह बोर्ड की मंजूरी के बाद सार्वजनिक होता है, लेकिन केवल खासतौर पर अनुरोध पर ही उपलब्ध होता है।	हां
क्रियान्वयन	किस्त जारी दस्तावेज (टीआरडी) : देश द्वारा नीति सुधार की आवश्यकता को पूरा करने के आधार पर ऋण की किस्त जारी करने के लिए बैंक के तर्क को प्रस्तुत करती है। मंजूरी के बाद सार्वजनिक होता है।	हां (टीआरडी मसौदे सार्वजनिक नहीं होते)
मूल्यांकन	क्रियान्वयन पूर्णता रिपोर्ट (आईसीआर) : लक्ष्यों को हासिल करने में ऋण की सफलता का मूल्यांकन करती है एवं बैंक एवं ऋण लेने वाले की प्रदर्शन का स्तर तय करती है। पूर्णता के 6 माह के अन्दर तैयार किये जाते हैं।	हां

नोट :

1. आईएफसी एवं एमआईजीए की परियोजना के ''रणनीति व चयन'' चरण में न तो कोई दस्तावेज होते हैं, और न ही परियोजना क्रियान्वयन के दौरान कोई दस्तावेज नियमित तौर पर सार्वजनिक किये जाते हैं।

2. एमआईजीए मंजूरी से पूर्व नियमित तौर पर कोई परियोजना विवरण या विचाराधीन परियोजना के बारे में कोई संकेत सार्वजनिक नहीं करता है। सिर्फ एक दस्तावेज जो एमआईजीए निदेशक मंडल की मंजूरी से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध करा सकता है वह होता है बहुत ज्यादा जोखिम वाली परियोजनाओं (श्रेणी ''ए'') के लिए पर्यावरण असर आकलन रिपोर्ट। इसके अलावा, एमआईजीए द्वारा अपने परियोजना के बारे में नियमित तौर पर जो जानकारी सार्वजनिक की जाती है वह बोर्ड की मंजूरी के बाद समाचार उदघोषणा एवं एमआईजीए की सालाना रिपोर्ट में परियोजना के सार संक्षेप मे मिलती है।

एक नजर :
विश्व बैंक समूह द्वारा आम तौर पर दिये जाने वाले तर्क

विश्व बैंक का ''हम नहीं तो कोई और'' सिद्धान्त : एक थोथा तर्क

विश्व बैंक अक्सर कहता है : यदि हम इस परियोजना का वित्तपोषण नही करते हैं, तो कोई और करेगा, और वह इससे बदतर होगा।

जबकि वास्तविकता में : विश्व बैंक सीमित संसाधनों वाली एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था है। इसका निर्धारित लक्ष्य है टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन करना। बैंक के पास आने वाली सभी खराब परियोजनाओं को रोकने का या सभी ज्यादा नुकसानदेह निवेशों को थोड़ा कम नुकसानदेह बनाने का न तो बैंक का लक्ष्य है और न ही इसके लिए बैंक के पास साधन। यह तर्क देना कि यदि बैंक शामिल होता है तो परियोजना बेहतर हो जाएगी, योजना को समर्थन देने के लिए यह कोई मजबूत तर्क नहीं है। वास्तव में, यह कारण जहरीले रसायन फैक्टरी लगाने से लेकर हजारो लोगों को विस्थापित करने वाले बांध बनाने जैसी योजनाओं को समर्थन देने के लिए बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि कोई और ऐसी योजनाओं का समर्थन न करे। हाल के सालों में, बैंक द्वारा कई अधिक विपरीत असर वाली परियोजनाओं में शामिल होने को तर्कसंगत ठहराने के लिए चीन द्वारा वित्तपोषित होने की चेतावनी का उपयोग किया गया है। बैंक के सीमित संसाधनों एवं गतिविधियों की अवसर लागत को देखते हुए बैंक को संभावित गरीबी उन्मूलन के लिए सकारात्मक योगदान करने वाली परियोजना का चयन करना चाहिए।

आरोप को टालना

विश्व बैंक अक्सर कहता है : हमसे मत पूछो, सरकार (या कम्पनी) से पूछो।

जबकि वास्तविकता में : विश्व बैंक समूह जानकारी के लिए सार्वजनिक जांचों एवं अनुरोधों को लगातार परियोजना निर्माणकर्ताओं पर टालती रही है। ऐसा जवाब अक्सर सरकारों या कम्पनियों द्वारा दिया जाता है कि वे इस जानकारी को नहीं दे सकती क्योंकि विश्व बैंक, आईएफसी या एमआईजीए की नीतियों के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है। लोगों को जानकारी देने से मना करने के लिए हरेक पक्ष दूसरे का सहारा लेता है। जबकि पहले विकल्प के तौर पर लोगों को अपनी सरकार के पास जाना चाहिए और उन पर जानकारी को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए दबाव बनाना चाहिए, लेकिन इससे विश्व बैंक समूह को अपने कार्यक्रमों के प्रति जवाबदेह होने की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिल सकती। एक सार्वजनिक विकास संस्था के तौर पर, विश्व बैंक समूह को देश व कम्पनी के साथ अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता व जवाबदेही का सर्वोच्च मानक स्थापित करना चाहिए और यह करने में उसे राष्ट्रों की कानूनों या कंपनियों की नीति नियमों की विविधता की चिंता नहीं करनी चाहिए।

गरीब बनाम पर्यावरण : एक झूठा विरोधाभास

विश्व बैंक अक्सर कहता है : सामाजिक व पर्यावरणीय ''सुरक्षा उपाय'' नीतियां विकास के लिए महंगे बोझ हैं।

जबकि वास्तविकता में : यह विचार कि सुरक्षा उपाय विकास को बाधित करती हैं, एक झूठे अनुमानों पर आधारित है – यह कि आर्थिक कल्याण में सुधार करने एवं पर्यावरण व समाज की रक्षा करने के बीच आपसी विरोधाभास है। वास्तव में सामाजिक व पर्यावरणीय संरक्षण टिकाऊ विकास एवं गरीबी उन्मूलन के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं वे विकास विरोधी नहीं हैं। सामाजिक व पर्यावरणीय मानकों पर विचार किये बगैर चुनी व डिजाइन की गई परियोजनाएं वास्तव में न सिर्फ प्रभावित लोगों व वातावरण पर, बल्कि बैंक पर भी जोखिम व लागत बढ़ाती हैं।

अपने को कमजोर कहना : जानबूझकर बैंक की शक्ति को कम बताना

विश्व बैंक अक्सर कहता है : यदि हम परियोजना में शामिल नहीं हैं तो हमारा कोई प्रभाव नहीं है।

जबकि वास्तविकता में : सदस्य सरकारों पर मजबूत प्रभाव के साथ, विश्व बैंक समूह एक बहुत शक्तिशाली संस्था बन गया है। कोई परियोजना के वित्तपोषण के माध्यम से बैंक अपनी सिर्फ एक क्षमता का उपयोग करता है, इसका यह मतलब यह नहीं होता कि संस्था के पास हस्तक्षेप का यही एकमात्र रास्ता है। बैंक द्वारा एक देश को दी जाने वाली अपनी समस्त सहायताओं में शर्त रखने की क्षमता एवं उसके सार्वजनिक व निजी संदेश भी सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, यदि बैंक समूह यह दिखाने के लिए कोई परियोजना को वित्तपोषित कर रहा है कि यह किस तरह किया जाना है, तो कोष जारी करने से पूर्व बैंक की पकड़ बहुत ज्यादा होती है। अतः यदि सामाजिक, पर्यावरणीय व पारदर्शिता सम्बन्धी समस्याएं कोष वितरण के पहले हल नहीं की जाती हैं तो, बैंक के लिए इन्हें बाद में सुलझा पाना मुश्किल हो जाता है।